रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 18 नवम्बर, 2017 ई० (कार्तिक 27, 1939 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकडे, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर

11 अक्टूबर, 2017 ई०

सं० 3048/1603/05/न0पा0प0फ0(17-18)—उ0प्र0 अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर अपने सीमान्तर्गत विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017 प्रस्तावित करती है उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह को आपत्ति या सुझाव दैनिक जागरण समाचार-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित कराया गया है। निर्धारित अवधि में 2 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। उसका निस्तारण कर दिया गया है। अतः गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से यह लागू मानी जायेगी। अतः उक्त नियमावली को अन्तिम करते हुये उपविधि नियमावली 2017, उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तिथि में प्रभावी मानी जायेगी।

"विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017"

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका/नगर पंचायत पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर में यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017" कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1—संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

(01) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017" कहलायेगी।

(02) यह नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(03) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर में प्रभावी होगी।

2—परिभाषायें—

(01) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(02) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(03) नगरपालिका परिषद्, का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर से है।

3—विविधकर शुल्क की दरें—

(01) कर निर्धारण नकल जनरल शुल्क रु0 250.00 प्रति नकल व तत्काल नकल शुल्क रु0 500.00 प्रति नकल।

(02) जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र की द्वितीय व तृतीय प्रति हेतु क्रमशः शुल्क रु0 50.00, 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र होगा।

(03) पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य घरेलू दर रु0 200.00 प्रतिमाह न्यूनतम।

(04) पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य व्यवसायिक दर रु0 500.00 प्रतिमाह न्यूनतम।

(05) पानी टैंकर शुल्क (नगरपालिका परिषद, सीमा में घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 1,500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु) वाहन सहित।

(06) पानी टैंकर शुल्क (नगरपालिका परिषद, सीमा में व्यावसायिक कार्य हेतु) शुल्क रु0 3,000.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु) वाहन सहित।

(07) सीवर रोक्शन मशीन (टैंक सीवर आदि साफ) करने हेतु शुल्क रु0 2,500.00 नगर सीमा के अन्तर्गत।

(08) मोबाइल टायलेट किराया शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन (08 घण्टे हेतु) नगर सीमा के अन्तर्गत वाहन छोड़कर।

(09) शौचालय ना बना होने पर जुर्माना शुल्क रु0 5,000.00 देय होगा।

4–जल संयोजन हेतु शुल्क–

	घरेलू	व्यावसायिक
(01) प्रार्थना-पत्र शुल्क	100.00	150.00
(02) सामग्री जांच शुल्क	50.00	100.00
(03) मीटर जांच शुल्क	50.00	100.00
(04) सुपरवीजन शुल्क (लागत+कार्य का)	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत
(05) रोड़ कटिंग	लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार	
[i] इण्टर लाकिंग रोड	1780 – वर्ग मीटर	
[ii] कच्चा मार्ग	100 – वर्ग मीटर	
[iii] खड़न्जा	690 – वर्ग मीटर	
[iv] तारकोल रोड	1195 – वर्ग मीटर	
[v] सीमेन्ट रोड	1350 – वर्ग मीटर	
[vi] हाटमिक्स	1650 – वर्ग मीटर	
(06) जमानत धनराशि	300.00 –	500.00
अवैध जल संयोजन हेतु अर्थ दण्ड	500.00 –	1,000.00
जल मूल्य (06 माह हेतु)	300.00 –	500.00
जल संयोजन नियमतीकरण शुल्क	350.00 –	500.00

10–भवन स्वामियों द्वारा जल की टोंटी खुली पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

11–भवन स्वामियों द्वारा नल की टोंटी खुली पाये जाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

12–40 माईक्रोन से कम की मोटाई की पालीथीन का प्रयोग करने पर जुर्माना शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

13–40 माईक्रोन से कम की मोटाई की पालीथीन का प्रयोग करने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

14–नगरपालिका सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,500.00 प्रति वर्ष।

15–नगरपालिका सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,500.00 प्रति वर्ष।

16–नगरपालिका सीमा में स्थिति गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 प्रति वर्ष।

17–नगरपालिका सीमा में रेस्टोरेन्ट/ढाबा/होटल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 प्रति वर्ष।

18–नगरपालिका सीमा में ई–रिक्शा/गाड़ी लाइसेंस शुल्क रु0 1,000.00 प्रति वर्ष।

19–नगरपालिका सीमा में स्थापित मोबाइल टावरों/अन्य प्रकार के टावरों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 30,000.00 प्रति वर्ष।

20–नगरपालिका सीमा में स्वान पालकों को नगरपालिका परिषद, फतेहपुर के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रति श्वान प्रति वर्ष।

21–कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर की खुराकी शुल्क रु0 300.00 प्रतिदिन/प्रति जानवर।

22–कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर की खुराकी शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन।

23—गाय/भैंस/सुअर आदि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण प्रतिदिन।

24—सुअर/बकरा/मुर्गे/मछली आदि का लाइसेंस शुल्क रु0 1,000.00 प्रति वर्ष।

25—नगरपालिका सीमा में स्थिति आटा चक्की/धान कुटाई चक्की/स्पेलर/रुई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु0 500.00 प्रति वर्ष।

26—नगरपालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली ट्रान्सफार्मर शुल्क आकार के अनुसार—

[i] (8 X 10) फीट रु0 10,000 प्रतिमाह।

[ii] (15 X 20) फीट रु0 20,000 प्रतिमाह।

[iii] (25 X 30) फीट रु0 30,000 प्रतिमाह।

[iv] (30 X 40) फीट रु0 40,000 प्रतिमाह।

27—नगरपालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली पावर हाउस/सब स्टेशन शुल्क रु0 50,000.00 प्रतिमाह।

28—नगरपालिका सीमा में भैंसा/बकरा व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस रु0 1,000.00 प्रति वर्ष।

29—नगरपालिका में स्थिति व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों अर्थात् 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया से व्यावसायिक शुल्क रु0 200.00 प्रतिमाह।

30—नगरपालिका में स्थिति व्यवसाय करने वाले बड़े दुकानदारों अर्थात् 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया से व्यावसायिक शुल्क रु0 200.00 प्रतिमाह।

31—छोटी बाउण्ड्रीयुक्त या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेंकने को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी0 ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

32—नगरपालिका सीमा में संचालित बैंकों पर व्यावसायिक शुल्क 5,000.00 प्रति वर्ष।

33—नर्सिंग होम 20 बेड तक व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 प्रति वर्ष।

34—नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 प्रति वर्ष।

35—नगरपालिका सीमा में संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यावसायिक शुल्क निम्न प्रकार से है।

36—नगरपालिका सीमा में संचालित निजी स्वामित्व के स्कूल/कालेज पर व्यावसायिक शुल्क निम्न प्रकार से है।

(क) प्लेग्रूप से कक्षा 8 तक शुल्क रु0 1,500.00 प्रति वर्ष ।

(ख) 9 से कक्षा 12 तक शुल्क रु0 2,000 प्रति वर्ष।

(ग) डिग्री कालेज पर शुल्क रु0 2,500.00 प्रति वर्ष।

सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9, शासनादेश संख्या 406/नौ-9-1997-95ज/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत कर प्रस्तावित है।

5—डिस एण्टीना शुल्क—

(1) नगरपालिका परिषद, फतेपुर की सीमा में डिश एण्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एण्टीना का व्यवसाय किया जाता है, तो प्रत्येक डिश एण्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 100.00 प्रति माह लिया जायेगा।

(2) डिश एण्टीना स्थायी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शनों की सूची अनिवार्य रूप से नगरपालिका परिषद, फतेहपुर में उपलब्ध करायेगा।

(3) कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण नगरपालिका परिषद, फतेहपुर के अधिकृत अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा।

(4) केबिल तार इस प्रकार से लगाया जायेग जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा न हो।

6–शो टैक्स–

नगरपालिका, फतेहपुर की सीमा में मनोरंजन (शो) के माध्यम से फिल्म/मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों पर रु0 200.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

7–विज्ञापन शुल्क–

सचिव उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग–9 के पत्र संख्या 6018/नौ-09-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश–

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, आवागमन और सुगमता के लिये सर्वथा उपर्युक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृणता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय ताकि कोई दुर्घटना न हो।

(3) विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरुपित न हो।

(4) विज्ञापन ग्लोसाइन बोर्ड/साइन बोर्ड/विज्ञापन पट शुल्क प्रतिवर्ग फुट रु0 50.00 तथा बैनर/पोस्टर शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह देय होगा।

(5) विज्ञापन किसी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये और न ही उसमें अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

(6) विज्ञापन पट्ट–

[i] 3 x 2 फीट साइज तक शुल्क रु0 1,500.00 प्रतिवर्ष।

[ii] 3 x 2 से अधिक तथा 6 x 4 फीट साइज तक शुल्क रु0 3,000.00 प्रतिवर्ष, रु0 6,000 प्रतिवर्ष।

[iii] 6 x 4 के साइज साइज से अधिक शुल्क रु0 5,000.00 प्रतिवर्ष।

8–लाइसेंस शुल्क–

(1) हांथ रिक्शा शुल्क रु0 50.00 प्रतिवर्ष। (व्यक्तिगत)।

(2) हांथ रिक्शा चलाने का शुल्क रु0 200.00 प्रतिवर्ष। (किराये पर)।

(3) उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक लाइसेंस की निम्न फीस होगी।

[i] होटल तथा रेस्टोरेन्ट जहां ठहरने की व्यवस्था हो का शुल्क रु0 5,000 प्रतिवर्ष।

[ii] होटल का शुल्क रु0 2,500 प्रतिवर्ष।

[iii] फेरी वाले तथा विक्रेता का शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

9–लाइसेंस फीस निम्न प्रकार ली जायेगी–

(i) धान मिल शुल्क रु0 1,000 प्रतिवर्ष।

(ii) तेल मिल शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(iii) दाल मिल शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(vi) कोल्ड स्टोरेज शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(v) आईस फैक्ट्री शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(vi) आईस कैन्डी शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(vii) आरा मशीन शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(viii) खराद मशीन शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(ix) आटा मशीन शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(x) एक्सफ्लोरेर मशीन शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिवर्ष।

(xi) धान मशीन छोटी शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(xii) रुई धुनाई मशीन शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष।

(xiii) अन्य मशीन का शुल्क रु0 100.00 प्रतिवर्ष।

10—नुमाईस/सकर्स/मेला आदि का अनुमति शुल्क रु0 1,000 प्रतिदिन।

11—अनुसूची—

(i) साइकिल द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन।

(ii) रिक्शा द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचारी प्रति वाहन शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन।

(iii) इक्का, तांगा, बुग्गी द्वारा हर प्रकार के माल पर बिक्री एवं प्रचार पर प्रति जानवर शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन।

(iv) हांथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति जानवर शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

(v) बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगड़ी द्वारा हर प्रकार के माल पर बिक्री एवं प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

(vi) हांथ ठेला द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति ठेला शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन।

(vii) बड़े फड़ लगाकर सब्जी एवं लकड़ी आदि की नीलामी करने वाली प्रति आढ़त पर प्रति आढ़त शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

(viii) फुटकर सब्जी एवं अन्य सामग्री विक्रेता प्रति दुकानदार शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन।

(ix) छोटे सब्जी विक्रेता को जो सड़क पटरी बाजारों में तथा गली कूचों में टोकरी रखकर प्रति टोकरी शुल्क रु0 10.00 प्रतिदिन।

(x) नाई, मोची, खोमचा अथवा घूमकर बिक्री करने वाला खोमचा पर प्रति खोमचा सिर पर शुल्क रु0 10.00 प्रतिदिन।

(xi) लकड़ी रखकर आदि का खोखा रखकर या स्थान घेरकर किराये पर देने दुकानों/स्टाल आदि लगाने, फर्नीचर बनाने, बेचने, निर्माण सामग्री बेचने व आदि पर की खरीद फरोक्त आदि व्यवस्था पर प्रति दुकानदार शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

(xii) दुकानदार जो अपनी दुकान के सामने सुविधा अथवा प्रचार के उद्देश्य से तख्त या फर्नीचर डालने अथवा सामान रखते हों प्रति दुकानदार शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन।

(xiii) ट्रक या बस द्वारा इस प्रकार की बिक्री व प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

(xiv) ट्रैक्टर ट्राली, पब्लिक कैरियर द्वारा इस प्रकार की बिक्री व प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

(xv) टैम्पो, टैक्सी, मिनी बस आदि द्वारा हर प्रकार की बिक्री व प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रु0 100.00 प्रतिदिन।

38 हि0 सं0-7

12–पड़ाव के ठेके के नियम व शर्तों में वाहनों के पार्किंग शुल्क (भूमि किराया शुल्क) की दरें निम्नानुसार होगी–

(1) बड़ी बस रु0 300.00 प्रतिदिन प्रति वाहन (सरकारी वाहन को छोड़कर)।

(2) मिनी बस रु0 200.00 प्रतिदिन प्रति वाहन।

(3) मैजिक/कार/जीप/थ्रीव्हीलर/विक्रम इत्यादि शुल्क रु0 200.00 प्रतिदिन प्रतिवाहन।

13–ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण–

(1) नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर में ठेकेदारों/फर्मों के पंजीकरण/नवीनीकरण की अवधि माह अप्रैल से जून तक होगी जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त समझी जायेगी।

(2) ठेकेदारों/फर्मों का पंजीयन शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक।

(3) ठेकेदारों/फर्मों का नवीनीकरण शुल्क रु0 6,000 वार्षिक।

14–लोरा अपशिष्ट प्रबन्धन–

(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(2) नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(3) मरे हुये बड़े जानवर उठाने पर रु0 1,00 प्रति प्रकरण।

(4) मरे हुये छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(5) शादी विवाह सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000 प्रति प्रकरण।

(6) चाट/फल के ठेले आदि पर डेस्टविन न होने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(7) कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000 एवं पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(8) सड़क के किनारे गौरंग, बालू, ईट भवन सामाग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन प्रकरण।

(9) डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर द्वारा अनुबन्धित संस्था होने यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क रु0 60.00 प्रतिमाह एवं व्यावसायिक शुल्क रु0 150.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस या बल्क वेस्ट जनरेटर रु0 500.00 प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिंग।

(10) नगरपालिका सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शैचालयों के मूत्रालयों प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 प्रति व्यक्ति एवं ट्यालेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज रु0 10.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(11) नगरपालिका में स्थित नाला, नाली, सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति।

(12) नगरपालिका फतेहपुर की सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति व्यक्ति।

गृहकर (स्व-कर निर्धारण) उपविधि (नियमावली) 2017

नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 से 149 तक में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2011 के द्वारा संशोधित किये जाने के उपरान्त नगर विकास अनुभाग-9 से निर्गत शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190–वि0रा0दि0आ0/04, दिनांक 18 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या 408/नौ-9-10-

63ज/95टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 एवं 298 में दिये गये प्रावधानों का प्रयोग करते हुये स्वकर निर्धारण गृहकर (स्व0-कर निर्धारण) उपविधि (नियमावली), 2017 प्रस्तावित है।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों जिन पर उक्त नियमावली का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करती है, जो कि प्रकाशन की तिथि से 07 दिन के भीतर अधिशासी अधिकारी/प्रशासन नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर को सम्बोधित करते हुये लिखित रूप से कार्यालय नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर में दिये जा सकते हैं। अधूरे पते एवं निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव का निरतारण करने के उपरान्त यह उपविधि अंतिम प्रकाशन/उत्तर प्रदेश के गजट में मुद्रण तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि (नियमावली)

1–(क) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर "भवन एवं सम्पत्ति गृहकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली, 2017" कहलायेगी।

(ख) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन्, 2011 उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 (जैसे उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(ग) नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर से है।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर से है।

(ङ) बोर्ड/अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर के निर्वाचित बोर्ड/अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(च) "कर निरीक्षक/कर अधीक्षक" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर से है।

(छ) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।

(ज) वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित है, तो इसे परिसर के सभी सहित "भवन" कहा जायेगा।

2–वार्षिक मूल्य की परिभाषा–

(क) अधिनियम की धारा 140(1) खण्ड क व ख के अनुसार वार्षिक मूल्य का तात्पर्य रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों वाणिज्यक (व्यावसायिक) भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में यथास्थिति भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ नियत आवासीय भवनों के आच्छादित वर्ग फुट मासिक किराये की दर में नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले गुणा से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना से है।

(ख) अधिनियम की धारा 140 (1) के खण्ड (ख) के अनुसार धारा 140 (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति भवन की दशा में प्रति वर्गफुट आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर प्राप्त के 12 गुना मूल्य से है।

3–वार्षिक मूल्यांकन (ARV) के निर्धारण हेतु प्रति वर्ग फुट मासिक किराया की दरें अधिनियम की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत–

नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर की सीमा में स्थित कुल 34 कक्षों (वार्डों) की भौतिक स्थिति तथा जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा वर्तमान में लागू प्रतिवर्ग मीटर सर्किल दर के अनुसार सुलभ वार्षिक मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से नगर क्षेत्र के सभी 34 कक्षों को समूह श्रेणी कक्षों (श्रेणीयों) में प्रस्तावित किया गया है।

विभिन्न समूहों का मासिक किराया प्रति वर्ग फुट किराया, दरों की सूची

समूह (श्रेणी)	24 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूमि/भवनों की दरें				12 फुट से अधिक तथा 24 फुट तक चौड़ी सड़क पर स्थित भूमि/भवन की दरें				12 फुट तक चौड़ी सड़क पर स्थित भूमि/भवन की दरें			
	R.CC/ R.B छत रहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	भूमि	R.CC/ R.B छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	भूमि	R.CC/ R.B छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	भूमि
समूह-1 (श्रेणी ए) के कक्ष (वार्ड)	2.00	1.75	1.00	0.50	1.50	1.25	0.80	0.35	1.25	1.00	0.80	0.30
समूह-2 (श्रेणी बी) के कक्ष (वार्ड)	1.50	1.25	0.90	0.40	1.0	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
समूह-3 (श्रेणी सी) के कक्ष (वार्ड)	1.0	0.90	0.75	0.30	0.75	0.60	0.40	0.25	0.50	0.30	0.25	0.10

नोट–

1–तीनों समूहों हेतु सड़को की चौड़ाई की माप रोड़ के बगल स्थित सार्वजनिक नाली/नालों को छोड़कर की जाएगी।

2–तीनों समूहों में आने वाले कक्षों (वार्डो) के अर्न्तगत आने वाले भवनों में जिन भवनों की फर्श मुजैक/मार्बल/टाइल्स/ग्रेनाइट की है, उनकी प्रति वर्ग फुट मासिक दरों की गणना 10 प्रतिशत अधिक मान कर की जायेगी।

3–तीनों समूहों में अन्य पक्का भवन के अर्न्तगत ऐसे भवन आयेगें जिनकी दीवारें तथा छत में प्लास्टर न हो तथा फर्श कच्ची तथा सामान्य होगी।

खण्ड-क में दर्शाये गये तीनों समूहो के अर्न्तगत आने वाले सभी कक्षों (वार्डो) में स्थित वाणिज्यिक/व्यवसायिक भवन/कार्यालय जो अधिनियम की धारा 140 (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आते हैं उनकी प्रति वर्गफुट मासिक किराया दरों की गणना इस नियमावली की धारा 3 (ख) में दर्शायी गयी दरों से 25 प्रतिशत अधिक मानकर की जायेंगी। परन्तु 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थिति व्यवसायिक भवन की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर सभी समूह में किसी दशा में रू0 5.00 से कम नही होगी।

(घ) नगर क्षेत्र में स्थित भूमि के वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु यह अनिवार्य होगा कि कम से कम दो फुट ऊँची चहारदीवारी (बाउण्ड्री) अवश्य बनी हो। 5 फुट से कम ऊँची चहारदीवारी (बाउण्ड्री) वाली भूमि को प्लाट नं. तथा 5 फुट से अधिक ऊँचाई की चहारदीवारी (बाउण्ड्री) को हाता नं. आवंटित किया जायेगा। प्लाट अथवा हाता नं. आवंटित किये जाने हेतु स्वामित्व का साक्ष्य अनिवार्य होगा।

(ङ) नगर पालिका क्षेत्र में स्थिति ऐसी भूमि/बाउण्ड्रीयुक्त भूमि जिनका प्रयोग व्यवसायिक रूप में होना हो उनकी प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर की गणना इस नियमावली की धारा 3 के खण्ड (ख) में दर्शायी गयी भूमि की दरों से 25 प्रतिशत अधिक मानकर की जायेगी। परन्तु 30 फीट से चौड़ी सड़क पर स्थिति व्यवसायिक भवन की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर सभी समूह में किसी दशा में रू0 2.00 से कम नही होगी।

4–वार्षिक किराया मूल्य (ARV) की गणना–

अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) तथा (2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इस नियमावली की धारा 3 के खण्ड (ख) में दर्शायी गयी प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों की गणना निम्न प्रकार की जायेगी।

(क) भवन के कारपेट क्षेत्र की गणना–

(1) कमरे, ड्राइंगरूम तथा आच्छादित बरामदे के आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप (लम्बाई x चौड़ाई)।

[2] बालकनी, गलियारा, रसोईघर, स्टोर रूम तथा तथा भण्डार गृह के आन्तिरक आयाम की 50 प्रतिशत माप (लम्बाई X चौड़ाई का 50 प्रतिशत)।

[3] बैराज के आन्तरिक आयाम का 25 प्रतिशत माप (लम्बाई X चौड़ाई का 25 प्रतिशत)।

[4] स्नानगृह, शौचालयों, द्वारमण्डप (पोर्टिको), जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का भाग नही होगा।

स्पष्टीकरण–

इस प्रकार भवन का कुल कारपेट = एरिया बिन्दु सं० 1+2+3 का कुल क्षेत्रफल होगा, (ख) खण्ड (क) के अनुसार निकाले गये कुल कारपेट एरिया को इस नियमावली की धारा 3 में दर्शायी गयी प्रति वर्गफुट मासिक दरों से गुणा करने पर जो जांच धनराशि आयेगी उसे पुनः 12 से गुणा करने पर वार्षिक मूल्यांकन (ARV) का निर्धारण होगा। वार्षिक किराया मूल्यांकन (ARV) = कुल कारपेट एरिया X निर्धारित मासिक किराया X 12 होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 140 (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार यदि भवन स्वयं के प्रयोग में हो एवं आवासीय है तो वार्षिक मूल्यांकन को निम्न प्रकार घटाया जायेगा।

1–दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में गणना अनुसार निकाले गये वार्षिक किराया मूल्यांकन (ARV) का (–) 25 प्रतिशत होगा।

2–दस वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम आयु वाले भवनों में गणना अनुसार निकाले गये वार्षिक मूल्यांकन (ARV) का (–) 32.5 प्रतिशत होगा।

3–बीस वर्ष से अधिक आयु वालें भवनों में गणना अनुसार निकाले गये वार्षिक मूल्यांकन (ARV) का (–) 40 प्रतिशत होगा।

यदि आवासीय प्रयोग वाले भवन किराये पर उठाये गये हैं तो वार्षिक मूल्यांकन (ARV) में निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा।

1–दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में गणना अनुसार निकाले गये वार्षिक मूल्यांकन (ARV) का (+) 25% होगा।

2–दस वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम आयु वाले भवनों में गणना अनुसार निकाले गये वार्षिक मूल्यांकन (ARV) का (+) 32.5% होगा।

3–बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में गणना अनुसार निकाले गये वार्षिक मूल्यांकन (ARV) का (–) 40 प्रतिशत होगा।

(घ) अधिनियम की धारा 140 (1) में दिये गये प्रावधानों अनुसार उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये या बेदखली का विनियम) अधिनियम 1972 के प्रायोजना के लिए किसी भवन का मानक किराया अनुमानित किराया या युक्ति-युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब (संज्ञान) में नही लिया जायेगा।

(ङ) जिन आवासीय भवनों का कुछ भाग स्वयं प्रयोग में, कुछ भाग किराये पर तथा कुछ भाग व्यवसायिक प्रयोग में होगा, उन भवनों के वार्षिक मूल्यांकन की गणना अधिनियम की धारा 140 (2) में खण्ड (क) तथा (ख) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग करते हुए उन सभी को जोडकर सम्पूर्ण भवन का वार्षिक मूल्यांकन (ARV) निकाला जायेगा।

(च) भवनों की आयु की गणना का पर्याप्त साक्ष्य न उपलब्ध होने तथा सड़क की चौड़ाई भवन के आन्तरिक आयाम की माप आदि का विवाद उत्पन्न होने की दशा में नगर पालिका के अभियन्त्रण विभाग द्वारा निकाली गई आयु तथा माप को ही अन्तिम रूप से वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु माना जायेगा।

33 हि०प्र०-8

(छ) पूर्ण रूप से व्यवसायिक भवन जो अधिनियम की धारा 140 (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आते है उन्हे अधिनियम की धारा 140 (2) के खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत वार्षिक मूल्यांकन की गणना में संज्ञान में नही लिया जायेगा। ऐसे भवनों में वार्षिक किराये की दर से कर का निर्धारण किया जायेगा।

(ज) अधिनियम की धारा 141 (1) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत असाधारण परिस्थितियों में नगरपालिका द्वारा अधिकृत अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक की आख्यानुसार किसी भी कम धनराशि पर जो उसे उचित प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकता है।

5--स्व-कर निर्धारण की प्रक्रिया--

(क) अधिनियम की धारा 141 (क) के अन्तर्गत भवन/भूमि के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपने देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है।

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु वार्षिक मूल्य के स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत इस नियमावली की धारा 3 एवं 4 में दिये गये प्राविधान के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ग) वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु नगर पालिका कार्यालय से नये भूमि/भवनों एवं पूर्व से अंकित भूमि/भवनों में परिवर्तन/परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 'क' पर विवरण उपलब्ध कराना होगा।

6--अन्य प्राविधान--

(क) अधिनियम की धारा 140 (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में इस नियमावली की धारा 3 में विभिन्न समूहों के मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जा सकेगी।

(ख) अधिनियम की धारा 141 के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी/कर निर्धारण नगर पालिका क्षेत्र या उसके भाग में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण अधिकारी सूची तैयार करवायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 141 ख (1) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि नियत की जायेगी उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवन के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु विहित प्रक्रियानुसार विवरण पत्र 'क' प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अधिनियम की धारा 141 ख (2) के अन्तर्गत नियत तिथि तक यदि कोई व्यक्ति बिना किसी समुचित कारण के विवरण पत्र 'क' प्रस्तुत नही करता है तो विवरण पत्र निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् प्रस्तुत करने पर रु0 2,000.00 शास्ति (दण्ड शुल्क) के साथ स्वीकार किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम की धारा 141 ख (क) में अधिकारों के अनुसार अधिनियम की धारा 141 ख (क) के अन्तर्गत लगाये गये शास्ति शुल्क (दण्ड शुल्क) पर अधिशाषी अधिकारी विवेकानुसार प्रशासन की कार्यवाही कर सकता है।

7--कर की दरें--

(क) नगर पालिका द्वारा निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन का 15 प्रतिशत आवासीय गृहकर देय होगा।

8--(क) कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किश्त में 01 अप्रैल से देय होगा इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते हैं।

(ख) अग्रिम रूप से जमा की गयी धनराशि अथवा करों के सम्बन्धी किसी विवाद के निस्तारण के पश्चात् अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी दशा में नही की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

9--(क) मांग बिल का भुगतान बिल का प्राप्त प्रप्ति के 15 दिवस के भीतर अथवा 30 सितम्बर तक जमा किये जाने पर गृहकर की चालू मांग पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। 30 सितम्बर के पश्चात् जमा की जाने वाली धनराशि पर कोई छूट देय न होगी।

(ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च तक) करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर की मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज/ब्याज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगा।

(ग) किसी भवन/भूमि के निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर लगाये गये करो का भुगतान यदि भवन स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 149 के अनुसार भुगतान का दायित्व वास्तविक अध्यासी/किरायेदार का

होगा। जिसका समायोजन भुगतान कर्ता वास्तविक भवन स्वामी को दिये जाने वाले किराये में कर सकेगा। धारा 149 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी को होगा।

10–(क) अधिनियम की धारा 145(1) के अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में धारा 140 से 144 तक में विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 148(1) प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक भवन स्वामी सूचना देने हेतु बाध्य होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 158(1) के प्राविधानों के अनुसार नगर पालिका के किसी भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण अथवा धारा 147(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर निरीक्षक/कर अधीक्षक/अधिशाषी अधिकारी द्वारा मांगी जा सकती है।

(घ) इस धारा के खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत नगर पालिका का कोई भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है, तो अधिनियम की धारा 158 (2) के अनुसार कर निरीक्षक, कर अधीक्षक की आख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

11–कर मुक्त तथा छूट–

(क) अधिनियम की धारा 129 क खण्ड (क), (ख), (ग), (ड़), तथा खण्ड (छ) के अन्तर्गत आने वाले भूमि/भवनों अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के निर्धारण में नियमानुसार छूट देय होगी।

(ख) नगरपालिका परिषद्, फतेहपुर के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगरपालिका के स्वयं के प्रयोग में होने पर कर मुक्त रहेंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत अध्यासन के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट प्रदान की जायेगी जब सूचना लिखित रूप से नियमानुसार नगर पालिका कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी हो।

(घ) इस धारा के खण्ड (ग) के अधीन छूट प्राप्त भवन के स्वामी/अध्यासी द्वारा यदि अधिनियम की धारा 152 (1) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन की सूचना नही दी जाती है तो दोषी सिद्ध ठहराये जाने पर अधिनियम की धारा 152 (2) के अन्तर्गत पुनः किया जायेगा। जो अधिशाषी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

(ड़) अधिनियम की धारा 157 के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान किया जाना बोर्ड के अधीन होगा।

12–मूल सुधार–

(क) अधिनियम की धारा 147 (1) के खण्ड (छ) तथा धारा 165 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमाण्ड रजिस्टर जारी की गयी नोटिस अथवा काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन कर सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

13–वसूली प्रक्रिया तथा बिल नोटिस तमीला–

(क) अधिनियम की धारा 166, 168, 169 तथा 173 (क) में निहित प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ख) इस धारा के खण्ड (क) तथा इस उपविधि में वर्णित किसी भी प्रकार के बिल/सूचना नोटिस का तामीला अधिनियम की धारा 303 तथा 304 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) इस धारा के खण्ड (क) तथा (ख) के अतिरिक्त करों की वसूली तथा सूचना नोटिस के तामीलों में अन्य कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्रविधानों के अनुसार की जायेगी।

14–नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया धारा 147 के अर्न्तगत

(क) अधिनियम की धारा 147(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण सूची में किया जाने वाले ऐसा संशोधन जो किसी भी करारोपित भवन/भूमि पर निर्धारित करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उसकी लिखित सूचना (साक्ष्यों सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगर पालिका कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन स्वामी का धारा 148(1) के अर्न्तगत अनिवार्य दायित्व होगा।

(ख) यदि किसी करारोपित भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक ही वास्तविक स्वामी है तीन मास (90 दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(ग) इस धारा के पूर्ववर्ती खण्ड (ख) के अतिरिक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा, बैनामा, मा. न्यायलय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी। नामान्तरण, संशोधन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(घ) दाखिल-खारिज अथवा धारा 147(1) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जायेगा किसी भी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही तब तक नही की जायेगी, जब तक आवेदक द्वारा संविदा के न होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा।

(ङ) किसी भवन/भूमि सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 147(1) के प्राविधानों के अनुसार संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 147(2) की 30 दिनों की नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

15–किसी भवन /भूमि के स्वामित्व/अध्यासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन सम्बन्धी विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 143 तथा 147 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर पालिका या अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जायेगा उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत होने तक प्रभावी रहेगा।

16–नामान्रण शुल्क/विलम्ब शुल्क –

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147 के अन्तर्गत दिये गये कोई विवरण (दाखिल-खारिज) प्रार्थना-पत्र नगरपालिका द्वारा निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार किया जायेगा। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व में संशोधन हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र जो विरासत/रजिस्टर्ड वसीयतनामा एवं मा0 न्यायलय से जारी निर्णयों के आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे उन आवेदन को नामान्तरण (दाखिल-खारिज) शुल्क निम्न प्रकार होगा।

क्र0सं0	विवरण	प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क
01	विरासतन/वसीयत/उत्तराधिकार विधि सम्मत तरीके से किये गये हिस्सा पर आधारित भवनों का नामान्तरण शुल्क	3,000.00

भवनों के पंजीकृत विलेख/बैनामों पंजीकृत, दान पत्र पर डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार नामान्तरण शुल्क आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार जमा कराया जायेगा।

2-ए	रु0 5,00,000.00 मूल तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	3,000.00
बी	रु0 5,00,001.00 से रु0 10,00,000.00 तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	4,000.00
सी	रु0 10,00001.00 से 2000000.00 तक के विक्रय विलेख पर	6,000.00
डी	रु0 20,00001.00 एवं अधिक से विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	10,000.00

(ख) प्रकाशन फीस स्वयं आवेदक द्वारा देय होगी। जो रु0 800.00 प्रति नामातरण शुल्क होगी।

(ग) कर निर्धारण सूची में स्वागित्व संशोधन (दाखिल खारिज) हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्धारित अवधि 03 माह (90 दिन) व्यतीत हो जाने के पश्चात् अथवा आवेदनकर्ता को जिस तिथि को नामान्तरण करने का अधिकार प्राप्त हो गया था उस तिथि से 03 माह (90 दिन) व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

शस्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 299 में दिये गये प्राविधानों के अधीन उक्त नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रूपया 1,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किया जायें तो अग्रेत्तर जुर्माना, किये जा सकेगा, जो प्रथम दोष सिद्वि के दिनों से प्रत्येक दिन के लिए अपराध करते रहना सिद्वि होने पर रू0 25.00 प्रतिदिन होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
फतेहपुर।